उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-1
संख्या : **39/2026/**1552/94-1-2026-312(25)/2022
लखनऊ, दिनांक : 04 अगस्त, 2026

## अधिसूचना

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके एवं जनसुविधा, ई-गवर्नेंस दस्तावेजों के त्वरित रजिस्ट्रीकरण, कार्यभार के संतुलित वितरण और उपलब्ध अवसंरचना के अधिकतम उपयोग में अभिवद्धि की दृष्टि से, राज्यपाल, इस निमित्त समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तरण करके, निम्नलिखित आदेश करते हैं:-

1. निबन्धक, लखनऊ के अधीनस्थ उप-निबन्धक, लखनऊ सदर प्रथम, उप-निबन्धक, लखनऊ सदर द्वितीय, उप-निबन्धक, लखनऊ सदर तृतीय, उप-निबन्धक, लखनऊ सदर चतुर्थ तथा उप- निबन्धक, लखनऊ सदर पंचम के कार्यालयों को एतद्द्वारा निबन्धक, कार्यालय लखनऊ में समामेलित किया जाता है।
2. उपर्युक्त समामेलन के परिणामस्वरूप, उप-निबन्धक, लखनऊ सदर प्रथम; उप-निबन्धक, लखनऊ सदर द्वितीय; उप-निबन्धक, लखनऊ सदर तृतीय; उप-निबन्धक, लखनऊ सदर चतुर्थ; तथा उप-निबन्धक, लखनऊ सदर पंचम को, उप-निबन्धक, मोहनलालगंज के विद्यमान शक्तियों और अधिकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निबन्धक उप-जिला मोहनलालगंज की अधिकारिता के भीतर स्थित संपत्तियों से संबंधित समस्त दस्तावेजों को रजिस्टर करने के लिए, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 30 के अधीन निबन्धक, लखनऊ में निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।
3. यह अधिसूचना जारी किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।

**अमित गुप्ता**
प्रमुख सचिव।

**संख्या : 39/2026/1552(1)/94-1-2026-312(25)/2022, दिनांक : 04 अगस्त, 2026**

**प्रतिलिपि-** हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे **दिनांक 04 अगस्त, 2026** के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**सुधीर कुमार**
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**<u>संख्या : 39/2026/1552(2)/94-1-2026-312(25)/2022, दिनांक : 04 अगस्त, 2026</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उ०प्र० लखनऊ।
6. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, लखनऊ।
9. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), पदेन जिला निबन्धक, लखनऊ।
10. उप महानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
11. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ।
12. विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5
13. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**शिव कुमार**
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**Uttar Pradesh Shasan**
**Stamp Evam Registration Anubhag-1**

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 39/2026/1552/94-1-2026-312(25)/2022 dated 04 August, 2026.

## Notification

**No. 39/2026/1552/94-1-2026-312(25)/2022**
**Lucknow; Dated: 04 August, 2026**

In exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), and with a view to promoting public convenience, e-Governance, expeditious registration of documents, balanced distribution of workload and optimum utilisation of the available infrastructure, the Governor is pleased to make the following order in partial modification of the notifications issued from time to time in this behalf, namely:-

1. The offices of the Sub-Registrar, Lucknow Sadar First, the Sub-Registrar, Lucknow Sadar Second, the Sub-Registrar, Lucknow Sadar Third, the Sub-Registrar, Lucknow Sadar Fourth and the Sub-Registrar, Lucknow Sadar Fifth, subordinate to the Registrar, Lucknow, are hereby amalgamated with the office of the Registrar, Lucknow.

2. Consequent upon the aforesaid amalgamation, the Sub-Registrar, Lucknow Sadar First; the Sub-Registrar, Lucknow Sadar Second; the Sub-Registrar, Lucknow Sadar Third; the Sub-Registrar, Lucknow Sadar Fourth; and the Sub-Registrar, Lucknow Sadar Fifth are hereby authorised to exercise the powers vested in the Registrar, Lucknow, under section 30 of the Registration Act, 1908, to register all documents relating to properties situated within the jurisdiction of registration sub-district Mohanlalganj, without prejudice to the existing powers and jurisdictions of the Sub-Registrar, Mohanlalganj.

3. This notification shall come into force with effect from date of it's issue.

**Amit Gupta**
Principal Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।